



बुद्ध स्तुप (पटना)

कार्यपालक सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 के दौरान बिहार सरकार के वित्त पर वित्तीय निष्पादन का आकलन करने तथा राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल को उचित प्रकार से वित्तीय अंकड़ों पर लेखापरीक्षा विश्लेषण के रूप में सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत है। इस विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) संशोधन अधिनियम, 2010, तेरहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन एवं बजट अनुमान 2010-11 में दिये गए लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों की तुलना का प्रयास किया गया है।

यह प्रतिवेदन

मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित इस प्रतिवेदन में सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गई है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संचित है।

अध्याय-1 वित्त लेखे की लेखा परीक्षा पर आधारित हैं और 31 मार्च 2011 तक के बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह राजकोषीय प्रतिबद्ध व्यय एवं उधार प्रतिमान की प्रवृत्तियों की जानकारी देने एवं बजट से इतर मार्ग से राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे स्थानांतरित केन्द्रीय निधियों की संक्षिप्त लेखा उपलब्ध कराता है।

अध्याय-2 विनियोग लेखे की लेखा परीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंध के ढंग का वर्णन करता है।

अध्याय-3 विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवशकताओं एवं वित्तीय वियमों के साथ बिहार सरकार के अनुपालन की एक सूची है। लेखा परीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से एकत्रित किये गए ऑकड़े भी इस अध्याय में होते हैं।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अध्याय 1

राजस्व प्राप्तियाँ: पूर्व वर्ष की तुलना में इसवर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व/संघीय करों का अंशदान/ शुल्क एवं भारत सरकार से अनुदान के कारण हुई। सरकार वर्ष 2006-11 के दौरान राजस्व अधिशेष बनाएं रखने में सफलता प्राप्त की है। राजस्व घाटा को दूर करने के लिए तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को पहले ही प्राप्त कर लिया गया। चालू वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष में वृद्धि भी बनी रही। चालू वर्ष के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 1.86 प्रतिशत था जो तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा (3.5 प्रतिशत) के अन्दर ही था।

ब्याज अदायगियाँ : वर्ष 2009-10 की तुलना में इस वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियों (₹ 4319 करोड़) में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये बजट अनुमान

(₹ 4513 करोड़) एवं तेरहवें वित आयोग के मानक मूल्यांकन (₹ 4439 करोड़) के प्रक्षेपण के अंतर्गत थे।

राजस्व व्यय : पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व व्यय में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं यह कुल व्यय का 79 प्रतिशत था जिसमें राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत गैर योजना राजस्व व्यय था। पूर्व वर्ष की तुलना में गैर योजना राजस्व व्यय में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं चालू वर्ष के बजट अनुमान (₹ 29683 करोड़) के भीतर रहा। गैर योजना राजस्व व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण वेतन, पेंशन ब्याज अदायगियों एवं आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के अन्तर्गत प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि होना था।

सरकारी लोक क्षेत्र उपकरणों आदि के परिचालन कुशलता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता (सब्सिडी) भुगतान में कठौती पर विचार कर सकती है। तेरहवें वित आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार सभी राज्यों को मार्च 2011 तक अकार्य लोक क्षेत्र उपकरणों को बंद करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए।

पूँजीगत व्यय : पूर्व वर्ष की तुलना में राज्य के पूँजीगत व्यय में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अपूर्ण परियोजनाएँ : वर्ष 2010-11 के अंत तक 350 अपूर्ण परियोजनाओं में कुल ₹ 1005 करोड़ की निधियों को अवरुद्ध किया गया था। इन अपूर्ण परियोजनाओं पर समय एवं लागत वृद्धि को कम करने की आवश्यकता है जिससे बिहार की जनता की राशि का महत्व सुनिश्चित किया जाए।

सरकारी निवेशों की समीक्षा : सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कंपनियों एवं सहकारी संस्थानों में सरकारी निवेशों का औसत रिटर्न विगत पाँच वर्षों में शून्य एवं 0.28 प्रतिशत के बीच रहा, जहाँ इसका औसत ब्याज 7.15 से 6.87 प्रतिशत के बीच रहा। यह एक जटिल समस्या है।

अतः सरकार को निवेशों में धन का उचित मूल्य प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए अन्यथा परियोजनाओं में निम्न वित्तीय वापसी पर निवेशित उच्च मूल्य उधार निधि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती रहेगी। निम्न वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक आर्थिक रिटर्न के कारण युक्तिसंगत लगाने वाले परियोजनाओं को अभिज्ञान में लिया जा सकता है तथा उन्हें उच्च मूल्य उधार हेतु व्यायासंगत प्राथमिकता दी जा सकती है। समय आ गया है कि व्यापक हानि होने वाले राज्य समर्थित लोक क्षेत्र उपकरणों के कार्य की समीक्षा की जाय जो रणनीतिक प्रकृति की है तथा जिन उपकरणों को जीवंत किया जा सकता है उनके लिए उत्थान की रणनीति तैयार की जाय तथा शिथिल इकाईयों का इकिवटी विनियोगित कर बंद किया जाय।

रोकड़ शेष की स्थिति : पूर्व वर्ष की तुलना में इस वर्ष के अंत तक रोकड़ शेष में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चूंकि अवरुद्ध रोकड़ शेष का अनुरक्षण एक विवेकपूर्ण रोकड़ प्रबंधन नीति नहीं है अतः कई परियोजनाओं को अपने पूर्ण एवं अनुमोदित तकनीकी-आर्थिक साध्यता मूल्यांकन के साथ तैयार रखना चाहिए ताकि उधार के समय तथा उत्पादक निवेश की ओर इन निधियों के परिचालन के बीच की असमानता को कम किया जा सके।

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा निधि का सीधे हस्तांतरित निधि में चूक : भारत सरकार ने वर्ष के दौरान कुल ₹ 10309 करोड़ राशि राज्य क्रियान्वयन समितियों को सीधा हस्तांतरण किया जिसमें पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 5127 करोड़ (99 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। चूंकि ये निधियों सरकारी लेखे से नहीं गुजरती, इसलिए भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित किये गए राशि का

इन संगठनों द्वारा लेखे के अनुरक्षण एवं निधियों के उपयोग में चूक का खतरा बना रहता है । इन सभी एजेंसियों द्वारा येते गए एकलाभ का अभाव में उत्तराधिकार प्रतिवेदन वहीं हुआ है ।
 अधिकार द्वारा व्यापक की विद्यता के बारे में समाजसद्व्यवहार प्रतिवेदन में सुनिश्चित की जानी चाहिए कि राज्य कियावनीय एजेंसियों के हास्तांतर प्रतिवेदन का सम्पूर्ण लेलाकरण किया जाता तथा कार्यालयकार एजेंसियों द्वारा किया गया व्यापक का सम्पूर्ण अधिवेशन के तहत राज्य उत्तराधिकार तथा महालेलाकरात (लेखा एवं हक्कद्वारा) द्वारा अधिकार सुनाना को वैदाया दी जाय ।

अध्याय २

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय विभिन्नता : ₹ 273.71 करोड़ के बजट आवंटन पर अधिकाई की विधियोंपरि कठोर के बाया भी राज्य में विभिन्न सामग्रियों एवं विकास कार्यक्रमों के विद्युतिकारी मौजूदा स्थिति से ₹ 14447 करोड़ की सम्पुण्ड बढ़त है। इस अधिकाई द्वाय की संविधान की धारा 205 के अल्पतम विविधित कठोर की आवश्यकता है। विधियों को अपर्याप्त प्रवाहित और अवाश्यक/आधिकारिक विवरणोंसह उत्तराधार देय। वित्तीय वर्ष के अंत में सरकार व्यायाम से अन्वेषण अवगुण द्ये। अत्रैक मामलों में अनुसारित बढ़ते या तो अधिकारित वही थे या वित्तीय कर्त्ता के अंतिम दो कार्यविद्याओं परि अधिकारित किये गए थे, जिससे अन्वय विकास प्रयोजनों में इन विधियों का उपयोग वही हो सका।

वित्तीय प्रबंधन में ऐसे कामियों को दूर करने के लिए बजटीय नियंत्रण पर पैनी नजर रखनी चाहिए। औंटेम शिवट में निधि को मुक्त करने एवं पुनर्नियोजन/अभ्याप्ति जारी करने से बचना चाहिए। अबुदाबो पर आधिक्य व्यय से बचने के लिए नियंत्रण पर पथिकियों को आवंटनों के विलङ्घ किए गए व्यय पर पैनी नजर रखनी चाहिए।

वित्तीय प्रतिवेदन : विभिन्न विभागों प्रक्रियाओं एवं विदेशी के अनुचालन में सरकार का कार्य विभिन्न विभागों में असंतोषजनक था, जो कि विभिन्न प्रतिवेदनी संस्थानों द्वारा इश्य तथा अनुबोलों के विळुप्त उपयोगिता प्रमाणणकों को पूर्ण करने में हुए विलंब से स्पष्ट था। इन्हाँ एवं दुर्विकाशकों के मानमतों के भी उदाहरणों वे विभागीय कार्रवाई लाली अधिक उत्तिष्ठ थे। ऐसे मानमतों ने विभागीय जांच को सुधारने की जाओ ताहिं जिससे की दोषियों को प्रक्रमा में लाया जा सके। भविष्य में ऐसे मानमतों को रोकने के लिए सभी संगठनों में आंतरिक विभाग प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

वर्ष 2010-11 के दौरान बहुप्रयोगित लघु शीर्ष 800 अन्य प्रदिव्याँ व्यय के अलंकृत प्राप्तियों एवं व्ययों के अधिकतम राशि के बर्गीकृत किया गया था जिसे वित्तीय प्रतिवेदन में अधिक प्रदर्शिता के लिए दूर करना चाहिए है। 31 मार्च 2011 तक वित्तीय प्रदर्शिता द्वारा आकस्मिक सार वित्त पर अधिक निकासी के विरुद्ध विस्तृत आकर्षित विल समर्पित वर्ती किया गया। भारत के विद्यक्रम एवं महानारायणीक के दौरानपैकी प्रतिवेदन में वित्तान रूप से इंगित किया जाने का बाबूदू इस अधिकतम के दौरान व्यय के अंकोंका का सामान्य नहीं होते किया जाना चाहिए। ऐसी विधि में सुधार लाने के लिए निकासी एवं व्ययन पद्धतिकारी द्वारा एक सुरुदृ त्रशब्द प्रणाली तैयार करायी जानी चाहिए ताकि निर्धारित अवधि के अन्दर सार आकर्षित विल का सामान्यता संरक्षित हो सके।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)